

वनमण्डलाधिकारी,  
(सामान्य) वन मंडल उमरिया, मध्यप्रदेश।

विषय:- उमरिया जिले में मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के अन्तर्गत पाली-बन्नोदा मार्ग से मैकी कोल के घर से होते हुए रामदीन कोल के घर तक सी0सी0 रोड निर्माण हेतु 0.910 हेक्टेयर वनभूमि मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद पाली, उमरिया को उपयोग पर देने बाबत।

(FP/MP/ROAD/139613/2021)

संदर्भ:- (1) इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/एफ-5/1066/2021/10-11/3493 दिनांक 22.10.2021

(2) मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद पाली, जिला उमरिया का पत्र क्रमांक/541 दिनांक 23.03.2022

-0-


उपरोक्त संदर्भित पत्र (1) द्वारा विषयांकित प्रस्ताव में इस कार्यालय द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई थी। संदर्भित पत्र (2) द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद पाली, जिला उमरिया द्वारा विषयांकित प्रकरण में जारी सैद्धांतिक स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को भेजा है। पालन प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक संस्थान द्वारा प्रकरण में नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि रुपये 5,69,660/- एवं 100 वृक्षों की राशि रू0 2,00,000/- ई-पोर्टल के माध्यम से त्रुटिवश ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक/FP/MP/ WATER/ 38689/2019 में भुगतान कर दी गई है। आवेदक संस्थान द्वारा वनाधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर उमरिया का प्रमाण पत्र दिनांक 30.01.2022 की हार्डकॉपी इस कार्यालय को प्राप्त हो गई है। आवेदक संस्थान द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन भी ई-पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

अतः सैद्धांतिक स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन के आधार पर औपचारिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

- 1- Legal status of the forest land shall remain unchanged.
- 2- Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency.
- 3- User agency shall restrict the no felling of trees.
- 4- The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
- 5- No labour camp shall be established on the forest land.
- 6- User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.
- 7- The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.


- 8- No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.
- 9- The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
- 10- No work shall be done during night.
- 11- The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
- 12- Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11- 42/2017-FC dt 29/01/2018.

उपरोक्तानुसार समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन आवेदक संस्थान से प्राप्त कर इस कार्यालय को भेजने के उपरांत आवेदक संस्थान को कार्य करने एवं क्षेत्र हस्तांतरण की अनुमति दी जावे।

  
(सुनील अग्रवाल)  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबन्ध)  
मध्य प्रदेश, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 20/05/2022

पृ. क्रमांक/एफ-5/1066/2021/10-11/1767  
प्रतिलिपि:-

- 1- मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) शहडोल वृत्त, शहडोल, मध्यप्रदेश।
- 2- मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद पाली, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबन्ध)  
मध्य प्रदेश, भोपाल